



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 21.06.2024

**विषय:- 01 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त थाना लंका, पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार ।**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा जघन्य अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी लंका के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.06.2024 को लंका पुलिस द्वारा नये रविदास पार्क सीरगोवर्धन के पास से 01 नफर अभियुक्त अरविन्द उर्फ मुन्ना पुत्र रामकेवल राम निवासी भूसीकृत पुरवा थाना-शहाबगंज जनपद चंदौली को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना विवरण:-**

थाना लंका पुलिस टीम द्वारा H.S. चेकिंग, निगरानी वांछित व्यक्ति, तलाश व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति के क्रम में नये रविदास पार्क सीरगोवर्धन के पीछे आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी कि बबुराही से एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक का एक सफेद झोला लिये हुये डाफी टोल प्लाजा की तरफ से आने वाली नयी सड़क से होते हुये रविदास पार्क की तरफ पैदल आता हुआ दिखाई दिया जिसको रोककर तलाशी ली गयी तो उसके पास से प्लास्टिक के झोले में अवैध गांजा बरामद हुआ।

**पूछताछ विवरण-**

अभियुक्त के कब्जे से बरामद अवैध गांजे के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बता रहा है कि साहब मैं देहात के क्षेत्रों से कम कीमत में गांजा खरीदकर लाता हूँ तथा इसे शहर में उचित कीमत पर बेच देता हूँ जिससे मिलने वाले पैसों से मैं अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण करता हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-**

1. अरविन्द उर्फ मुन्ना पुत्र रामकेवल राम निवासी भूसीकृत पुरवा थाना-शहाबगंज जनपद चंदौली उम्र करीब 35 वर्ष

**गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-** दिनांक गिरफ्तारी 21.06.2024 को नया रविदास पार्क सीरगोवर्धन, थाना क्षेत्र लंका, कमि० वाराणसी

**पंजीकृत अभियोग का विवरण -**

1. मु०अ०स० 231/24 धारा 8/20 NDPS ACT थाना लंका, कमि० वाराणसी ।

**आपराधिक इतिहास**

2. मु०अ०स० 218/10 धारा 41/109 सीआरपीसी थाना चकिया, जनपद चन्दौली ।
3. मु०अ०स० 260/12 धारा 356/379 भा०द०वि० थाना सैय्यदराजा, जनपद चन्दौली ।
4. मु०अ०स० 75/12 धारा 379/411 भा०द०वि० थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली ।
5. मु०अ०स० 229/17 धारा 379/411 भा०द०वि० थाना चैनपुर, जनपद कैमूर भभुआ, बिहार
6. मु०अ०स० 734/17 धारा 41/411/414/419/420/467/468/471 भा०द०वि० थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र ।
7. मु०अ०स० 207/20 धारा 401/379/411 भा०द०वि० थाना मोहनिया, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार

**गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम**

1. शिवाकान्त मिश्र, प्रभारी निरीक्षक, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ०नि० शिवाकर मिश्रा, चौकी प्रभारी बीएचयू, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ०नि० रोहित त्रिपाठी, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का० बृजेश कुमार प्रजापति, क्राइम टीम, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त कार्यालय  
जोन-काशी कमि० वाराणसी